"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजी. क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27] रायपुर, सोमवार, दिनांक 8 फरवरी 2010--माघ 19, शक 1931

कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, रायपुर

रायपुर, दिनांक 8 फरवरी 2010

विज्ञप्ति

देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की अनुज्ञप्तियों का आवेदन पत्र प्रणाली में व्यवस्थापन वर्ष 2010-11

क्रमांक/आब./ठेका/2010/439.—सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए, राज्य शासन के आदेशानुसार, यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित सम्पूर्ण देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लायसेंस वर्ष 2010-11 अर्थात् दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाये गये छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के अन्तर्गत आवेदन प्रणाली से निष्पादित किए जावेंगे. देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूह के आवंटन के लिए संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा उनके जिले के लिए घोषित तिथि एवं स्थानों पर इच्छुक आवेदनकर्ताओं से निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जावेंगे. आवेदन पत्र आमंत्रित करने की अंतिम तिथि एवं समय तथा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी से चयन करने की तिथियों का कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा :—

वर्ष 2010-11 के लिए सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूहों के लिए आवेदन प्राप्त करने एवं आवंटन की तिथियां

समूह (1)	जिले का नाम (2)	आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय (3)	लॉटरी द्वारा लायसेंसी का चयन करने का स्थान (4)	लॉटरी द्वारा चयन करने की तिथि एवं समय (5)
प्रथम समूह	1. राजनांदगांव	22-02-2010	कलेक्टोरेट, राजनांदगांव	08-03-2010
	2. द. ब. दन्तेवाड़ा	सायंकाल 5.30	कलेक्टोरेट, द. ब. दंतेवाड़ा	दोपहर
	3. बीजापुर	बजे तक	कलेक्टोरेट, द. ब. दंतेवाड़ा	11.00 बजे से
द्वितीय समूह	1. रायपुर	23-02-2010	कलेक्टोरेट, रायपुर	09-03-2010
	2. जशपुर	सायंकाल 5.30	कलेक्टोरेट, जशपुर	दोपहर
		बजे तक		11.00 बजे से

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
तृतीय समूह	1. महासमुंद 2. कबीरधाम	24-02-2010 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, महासमुंद कलेक्टोरेट, कबीरधाम	10-03-2010 दोपहर 11.00 बजे से
चतुर्थ समूह	1. बिलासपुर 2. उ. ब. कांकेर	25-02-2010 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, बिलासपुर कलेक्टोरेट, उ. ब. कांकेर	11-03-2010 दोपहर 11.00 बजे से
पंचम समूह	1. जांजगीर-चांपा 2. बस्तर 3. नारायणपुर	26-02-2010 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, जांजगीर-चांपा कलेक्टोरेट, बस्तर कलेक्टोरेट, बस्तर	12-03-2010 दोपहर 11.00 बजे से
षष्टम समूह	1. कोरबा 2. धमतरी	03-03-2010 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, कोरबा कलेक्टोरेट, धमतरी	16-03-2010 दोपहर 11.00 बजे से
सप्तम समूह	1. दुर्ग 2. सरगुजा	04-03-2010 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, दुर्ग कलेक्टोरेट, सरगुजा	18-03-2010 दोपहर 11.00 बजे से
अष्टम समूह	1. रायगढ़ 2. कोरिया	05-03-2010 सायंकाल 5.30 बजे तक	कलेक्टोरेट, रायगढ़ कलेक्टोरेट, कोरिया	19-03-2010 दोपहर 11.00 बजे से

2. छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक एफ 2-69/2008/वाक (आब)/पांच, दिनांक 13-01-2009 के अनुसार, नवगठित जिले **नारायणपुर** एवं **बीजापुर** में आबकारी विभाग के जिला आबकारी अधिकारी के नये कार्यालयों की स्थापना स्वीकृति के फलस्वरूप **जिला आबकारी अधिकारी, नारायणपुर** एवं **जिला आबकारी अधिकारी, बीजापुर** को **"कार्यालय प्रमुख"** घोषित किया गया है. नवनिर्मित जिले क्रमशः "नारायणपुर" एवं "बीजापुर" में आबकारी विभाग के अंतर्गत जिला आबकारी अधिकारी की पदस्थापना नहीं हुई है।

अतः शासन द्वारा नवगठित दोनों जिलों क्रमशः नारायणपुर एवं बीजापुर में स्थित देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूहों को आगामी वर्ष 2010-11 के लिए व्यवस्थापन करने के संबंध में आवेदन पत्र आमंत्रित करने तथा कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी के माध्यम से अनुज्ञापी का चयन करने तथा उपर्युक्त दोनों जिलों की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के आवंटन पश्चात् अग्रिम धन जमा कराने, अनुज्ञप्तियां जारी करने आदि से संबंधित समस्त कार्य नवगठित जिलों में पदस्थ कलेक्टर के अधीन जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर एवं द. ब. दन्तेवाड़ा द्वारा किया जावेगा. **उक्त नवगठित जिला-नारायणपुर के अंतर्गत स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए वर्ष 2010-11 हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी, बस्तर एवं जिला-बीजापुर के अंतर्गत स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए वर्ष 2010-11 हेतु आवेदन पत्र जिला आबकारी अधिकारी, द.ब. दन्तेवाड़ा के कार्यालय में प्रस्तुत किए जावेंगे तथा दोनों नवगठित जिलों की देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/समूहों के आवंटन की कार्यवाही कलेक्टर, नारायणपुर एवं बीजापुर द्वारा क्रमशः जिला बस्तर एवं जिला द.ब. दन्तेवाड़ा में सम्पन्न की जावेगी।**

3. उक्त दिये गये कार्यक्रम के अनुसार कलेक्टर्स द्वारा उनके जिले की नियत तिथि की विज्ञप्ति प्रसारित/प्रकाशित की जावेगी, जिसमें उनके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व लक्ष्य, लायसेंस फीस का 1/12वां भाग व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वां भाग प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की लायसेंस फीस की राशि आदि की जानकारी अंकित होगी।

4. देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के आवंटन के लिए वे ही व्यक्ति/फर्म/कम्पनी आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं, जो छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन निर्मित नियमों तथा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों की बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथासंशोधित के तहत् आबकारी लायसेंस प्राप्त करने की पात्रता रखते हों।

5/ नियमों, मादक द्रव्यों की खपत, निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा, **वर्ष 2010–11 के** लिए निर्धारित ड्यूटी दरों आदि की विस्तृत जानकारी संबंधित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से अवकाश के दिनों को छोड़कर, किसी–भी दिन कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है। जो व्यक्ति इस राज्य की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को लेने के लिए भाग लेना चाहता हो, वह सम्बन्धित जिले की देशी/ विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के लिए विहित प्रपत्र पर आवेदन पत्र नियत तिथि तक निर्धारित समय के पूर्व सम्बन्धित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय में जमा कर सकता है।

6/ समस्त कलेक्टर द्वारा उनके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए आवेदन पत्र प्राप्त करने एवं कम्प्यूटर के माध्यम से सार्वजनिक लॉटरी द्वारा अनुज्ञापी का चयन करने के लिए नियत तिथियों की विज्ञप्ति प्रसारित/प्रकाशित की जावेगी, जिसमें उनके जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए निर्धारित प्रोसेस फीस, प्रत्याभूत मात्रा, ड्यूटी की राशि, लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक राजस्व लक्ष्य, लायसेंस फीस का 1/12वाँ भाग व प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि एवं एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि आदि की जानकारी अंकित होगी।

7/ वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का आबंटन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के अन्तर्गत किया जावेगा। **आबंटन के संबंध में प्रचलित प्रावधान एवं शर्तें आदि निम्नानुसार होंगी :–**

(1) **<u>फुटकर बिक्री के लिए लायसेंसों का व्यवस्थापन</u>** :–

(1.1) उक्त नियमों और लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि के भुगतान के अध्यधीन रहते हुए, देशी/विदेशी मदिरा की बिक्री के लिए फुटकर दुकान/दुकानों के समूह की निर्दिष्ट फीस 12 मासिक किश्तों में देय प्रणाली के अन्तर्गत देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों का व्यवस्थापन या पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

(1.2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त 2 (1) के अनुसार, अनुज्ञप्तिधारी देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों की मासिक अनुज्ञप्ति फीस प्रत्येक माह के प्रथम कार्य दिवस को या उसके पूर्व संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा करेगा। लायसेंसी को मासिक किश्त उस माह के दसवें कार्य दिवस तक जमा करने की सुविधा रहेगी।

(1.3) उक्त खण्ड (क–1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी, देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों की मासिक अनुज्ञप्ति फीस संबंधित माह के दसवें कार्य दिवस तक जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, उनके विरुद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों के साथ–साथ, वह बकाया अनुज्ञप्ति फीस की राशि पर 12% वार्षिक (अर्थात् 1% मासिक) की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

(2) देशी एवं विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के लिए अनुज्ञप्ति, इन संशोधित नियमों के संलग्न प्रपत्र उपाबन्ध 1 व 2 पर क्रमशः सी.एस.2–घ व एफ.एल. 1–घ में मंजूर किये जावेंगे तथा विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को, उसके संलग्न परिसर में अहाता सुविधा हेतु अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उप–नियम (1) के खण्ड (ककक) के अधीन प्ररूप एफ.एल.1ख में मंजूर किए जावेंगे।

(2) <u>मदिरा दुकानों के समूह का गठन</u> :–

(2.1) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे से नजदीक स्थित तीन से अनधिक देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह बनाये जाकर, समूह का आबंटन किया जावेगा, जिसमें एक ही स्थान की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान एक ही समूह में रखी जावेगी। देशी/विदेशी मदिरा के समूह के आबंटन उपरान्त एवं निर्धारित अग्रिम धनराशियाँ आदि की पूर्ति कर दिये जाने उपरांत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा समूह की दुकानों के लिए चयनित आवेदकों को वर्ष 2010–11 के लिए दुकानवार लायसेंस जारी किए जायेंगे।

(2.2) एक आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) किसी–भी जिले में दो समूह से अधिक समूहों के लिये लायसेंस अभिप्राप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार कोई भी आवेदक (व्यक्ति/फर्म/कम्पनी) एक जिले में एक समूह के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र नहीं दे सकेगा।

(3) <u>आवेदन पत्र के साथ प्रोसेस फीस</u> :–

(3.1) किसी देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों/समूहों की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रणाली में आबंटन करने के लिए इच्छुक आवेदनकर्ताओं के द्वारा किये जाने वाले निर्धारित आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के साथ प्रोसेस फीस रुपये 4000/– जमा की जावेगी। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजन योग्य होगी और न ही यह राशि अनुज्ञप्ति स्वीकृत न होने पर वापसी योग्य होगी।

(3.2) उपरोक्त "**प्रोसेस फीस**" राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से जारी बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर के रूप में अथवा नगद राशि विभाग के **"मुख्य शीर्ष 0039–राज्य उत्पादन शुल्क, 800–अन्य प्राप्तियाँ, 0761–विविध प्राप्तियाँ (देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह हेतु प्रोसस फीस)"** के मद में चालान द्वारा जमा कराई जाकर, आवेदन पत्र के साथ बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक अथवा बैंक के कैश ऑर्डर अथवा चालान की मूलप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रोसेस फीस की राशि न तो लायसेंस फीस में समायोजित की जायेगी और न ही यह राशि लायसेंस प्राप्त न होने की स्थिति में वापसी योग्य होगी।

(3.3) प्रोसेस फीस की राशि नगद जमा करने की स्थिति में, यथा संभव उसी जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा की जावेगी, जिस जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(4) **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के आबंटन के लिए आवेदन पत्र :–**

(4.1) इच्छुक आवेदनकर्ताओं की जानकारी हेतु वर्ष 2010–11 के लिए आवेदन प्रणाली में आबंटित की जाने वाली देशी/विदेशी मदिरा के समूह में सम्मिलित फुटकर दुकान/दुकानों की सूची, वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत की मात्रा, वार्षिक ड्यूटी की राशि, वार्षिक लायसेंस फीस की राशि, वार्षिक मूल्य, निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि एवं वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर प्रतिभूति (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की धनराशि एवं एक माह की अग्रिम लायसेंस फीस की राशि व समूह के लिए निर्धारित प्रोसेस फीस आदि की जानकारी समस्त कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/तहसीलदार/नगर निगम/नगर पालिका एवं इसके अतिरिक्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता एवं छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के कार्यालयों के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(4.2) आवेदनकर्ता वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन के लिए आवेदन पत्र व शपथ पत्र के प्रारूप तथा अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप **"परिशिष्ट–एक"** जो इस विज्ञप्ति के साथ भी प्रकाशित किए जा रहे हैं, सम्बन्धित सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे तथा आवेदन..पत्र व शपथ पत्र तथा अशिक्षित/अर्द्ध शिक्षित आवेदक हेतु जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष दिये जाने वाले शपथ पत्र "परिशिष्ट–एक" के निर्धारित प्रारूपों पर ही किसी–भी आवेदनकर्ता के द्वारा अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन पत्र/शपथ पत्र **टंकित/मुद्रित** कराकर, सम्बन्धित जिले की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों के लिए आवेदन किया जा सकेगा। **प्रत्येक समूह के लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र ही स्वीकार किये जायेंगे**। आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अथवा आवेदन पत्र में स्कैन की गई फोटो लगाई जा सकती है, जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित होना अनिवार्य होगा।

(4.3) किसी भी इच्छुक आवेदनकर्ता के द्वारा वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के आबंटन हेतु आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित किए गए आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र के प्रारूप पर प्रदेश के जिलों के लिए निर्धारित तिथि एवं समय तक संबंधित जिलों में आवेदन किया जा सकता है। आवेदनकर्ता को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित **अभिलेख** संलग्न करना अनिवार्य होगा, अन्यथा स्थिति में आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जावेगा :–

(i) <u>आयु के प्रमाण के लिए</u> – म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न **अनुलग्नक–I** में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न होना अनिवार्य है।

(ii) **स्थायी निवास के प्रमाण के लिए** – मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट, **इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि** संलग्न होना अनिवार्य है।

(5) **आवेदकों के लिए पात्रता की शर्तें** :–

(5.1) वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/दुकानों के समूह के लायसेंस की पात्रता के लिए आवेदकों को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी :–

(5.1.1) भारत का नागरिक हो।

(5.1.2) 21 वर्ष से अधिक आयु हो।

(5.1.3) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन राज्य में आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। इन नियमों के नियम 13 के अधीन व्यतिक्रमी सूची में भी सम्मिलित न हो। इसी प्रकार किसी अन्य राज्यों के तत्संबंधी प्रावधानों में भी आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित न किया गया हो एवं बकायादार/काली सूची में सम्मिलित न हो। अन्य राज्यों के संबंध में आवेदक, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में आवेदक द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(5.1.4) आवेदक को दुकान/समूह आबंटित होने पर आपत्तिरहित स्थान पर दुकान खोलने हेतु उपयुक्त स्थान रखता हो या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता हो।

(5.1.5) आवेदक का नैतिक चरित्र अच्छा हो, और उसकी कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो तथा उसको आबकारी अधिनियम, 1915 या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी अधिनियम, 1985 या किसी अन्य संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित न किया गया हो।

(5.1.6) आवेदनकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला जहाँ का वह मूल निवासी है एंवं विगत 10 वर्षों में वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा हो, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर प्रस्तुत करना होगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है।

(5.1.7) आवेदक के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(5.1.8) आवेदनकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय न हो।

(5.1.9) आवेदक आयकर विभाग द्वारा आवंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता हो।

(5.2) इस कंडिका के खण्ड (5.1) के उप–खण्ड (5.1.1) से (5.1.9) तक की शर्तों के प्रमाण स्वरूप आवेदनकर्ता आवेदन पत्र के साथ–ही विहित प्रारूप में पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा तथा पैन कार्ड एवं आवेदन पत्र में उल्लेखित अन्य प्रमाण पत्रों की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।

स्पष्टीकरण :– शपथ पत्र स्टाम्प पेपर पर अथवा कोर्ट फीस टिकिट/एडहेसिव टिकिट का उपयोग कर अथवा फ्रैंकिंग विधि से तैयार किया जा सकता है।

(5.3) चयन प्रक्रिया के दौरान या बाद में जिला स्तरीय समिति कभी–भी आवेदक को नियम एवं शर्तों के पालन की पुष्टि हेतु समक्ष में उपस्थित होने को आदेशित कर सकती है या अन्य कोई प्रमाण/अभिलेख मांग सकती है, जिसे प्रस्तुत करना आवेदक का उत्तरदायित्व होगा, अन्यथा स्थिति में उसका चयन निरस्त किया जा सकता है अथवा ठेकावधि के दौरान लायसेंस निलंबन/निरस्तीकरण की कार्यवाही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है।

(6) **चयन के लिए जिला स्तरीय समिति :–**

वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों में से आवेदनकर्ता/अनुज्ञप्तिधारी के चयन हेतु प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला स्तरीय समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :–

(एक)	जिले का कलेक्टर	अध्यक्ष
(दो)	जिले का सहायक आयुक्त आबकारी/ जिला आबकारी अधिकारी/	सदस्य सचिव

(7) **अनुज्ञप्तिधारी का चयन :–**

(7.1) वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिये प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करने तथा समुचित जांच करने के उपरांत, चयन के लिए पात्र पाये गये आवेदकों की सूची समिति के सदस्य सचिव द्वारा तैयार की जाकर, चयन करने के पूर्व, सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जावेगी।

(7.2) समिति द्वारा पात्र पाये गये आवेदकों की सूची में से अनुज्ञप्तिधारियों का चयन किया जावेगा। यदि किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह/समूहों के लिये एक से अधिक आवेदक पात्र पाए जाते हैं, तो समिति ऐसी दुकानों के समूह/समूहों के लिए अनुज्ञप्तिधारी का चयन राज्य शासन द्वारा विहित प्रक्रियां के अन्तर्गत कम्प्यूटर द्वारा सार्वजनिक लॉटरी से करेगी, जिसमें तीन ओवदकों का चयन क्रमशः प्रथम, द्वितीय व तृतीय के रूप में किया जावेगा।

(7.3) यदि प्रथम चयनित आवेदक द्वारा चयन की सूचना के तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं की जाती है अथवा अन्य किसी कारण से उसका चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के दूसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों के समूह का आबंटन किया जा सकता है।

(7.4) यदि दूसरे क्रम के आवेदक द्वारा भी अपने चयन की सूचना के तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति धनराशि अग्रिम रूप में जमा नहीं की जाती है, अथवा अन्य किसी कारण से उसका भी चयन निरस्त हो जाता है, तो चयन सूची के तीसरे क्रम के आवेदक को संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों की फुटकर दुकानों के समूह का आबंटन किया जा सकता है।

(7.5) यदि प्रथम अथवा व्दितीय अथवा तृतीय चयनित आवेदक द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 13 के अनुसार निर्धारित अवधि में अपेक्षित धनराशि जमा नहीं की जाती है और विहित औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती हैं या दुकान/दुकानों के समूह हेतु उपयुक्त परिसर की व्यवस्था करने में अक्षम रहता है तो अनुज्ञापन प्राधिकारी संबंधित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह का आबंटन को निरस्त कर दिया जावेगा तथा दुकानों के समूह के पुर्नव्यवस्थापन हेतु आवश्यक कार्यवाहीं की जावेगी।

(7.6) देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के समूहों को आवेदन प्रणाली में आबंटन की कार्यवाही यदि किसी कारण वश नियत तिथि को पूरी नहीं होती है तो आबंटन हेतु शेष रही दुकानों/समूहों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करने की कार्यवाही संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा अन्य घोषित किसी भी दिन की जा सकेगी, जिसके लिए संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा संक्षिप्त विज्ञप्ति का प्रकाशन किया जावेगा।

(7.7) यदि वर्ष 2010–11 के लिए किसी विशिष्ट दुकानों के समूह के लिए कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होगा या दुकानों के समूह के लिए कोई अभ्यर्थी पात्र नहीं पाया जाएगा तो अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 8 में दी गई प्रक्रिया अनुसार दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन हेतु तत्काल कार्यवाही की जावेगी।

(7.8) जिला स्तरीय समिति/अनुज्ञापन प्राधिकारी को अधिकार होगा कि, वह किसी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/दुकानों के समूह हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों को बिना कारण बताए नामंजूर कर दें, जिसके लिए आवेदनकर्ता को कारण बताना आवश्यक नहीं होगा और न ही इस संबंध में आवेदनकर्ता की कोई आपत्ति ग्राह्य योग्य होगी।

(7.9) वर्ष 2010–11 के लिए जिस आवेदनकर्ता को देशी मदिरा दुकान/दुकानों के लिए सी.एस.2घ एवं विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के लिए एफ.एल.1घ में अनुज्ञप्ति मंजूर की जावेगी, वह छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 3 (ख) के अधीन जारी अनुज्ञप्ति के निर्बन्धन तथा शर्तों से आंबद्ध रहेगा।

(8) कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी निकालने की प्रक्रिया :–

(8.1) वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूहों के लिए अनुज्ञापी का चयन करने हेतु कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने के लिए सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक, जो व्दितीय दो अंकों का होगा एवं तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक, जो तृतीय चार अंकों का होगा, अंकित रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जिलों को उनके जिले के नाम के समक्ष दर्शाए अनुसार कोड क्रमांक निम्नानुसार आबंटन किया गया है :–

क्रमांक	जिले का नाम	आबंटित कोड नम्बर
1.	रायपुर	01
2.	दुर्ग	02
3.	राजनांदगांव	03
4.	धमतरी	04
5.	महासमुंद	05
6.	कबीरधाम	06
7.	बस्तर	07
8.	नारायणपुर	08
9.	उ.ब.काँकेर	09
10.	द.ब.दन्तेवाड़ा	10
11.	बीजापुर	11
12.	बिलासपुर	12
13.	कोरबा	13
14.	जांजगीर–चाँपा	14
15.	रायगढ़	15
16.	जशपुर	16
17.	सरगुजा	17
18.	कोरिया	18

(8.2) आवेदकों द्वारा दिए जाने वाले आवेदनों के लिए जिला आबकारी कार्यालय म समूहवार पंजी संधारित की जावेगी, जिसमें समूहवार संधारित पंजी में प्राप्त आवेदन पत्र पर पहले जिले का कोड क्रमांक, तत्पश्चात् समूह का अनुक्रमांक फिर प्राप्त आवेदन पत्र का क्रमांक क्रमशः अंकित किया जाकर, आवेदन पत्र के ऊपर दर्शित किया जावेगा।

(8.3) आवेदकों के द्वारा आवेदन किये जाने पर उनके आवेदन पत्र के लिए, जो प्राप्ति अभिस्वीकृति दी जावेगी, उस प्राप्ति अभिस्वीकृति में जिले का कोड क्रमांक, समूह का अनुक्रमांक एवं आवेदन पत्र का क्रमांक (पंजी में जिस नम्बर में पंजीयन किया जावेगा), जो उस समूह/आवेदक के लिए सम्पूर्ण कोड क्रमांक कहलायेगा, अंकित किया जाकर, प्राप्ति अभिस्वीकृति दी जावेगी।

(8.4) जिन समूहों के लिए एक ही आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों को सर्वप्रथम चयन के लिए घोषित किया जावेगा, तत्पश्चात् जिन समूहों के लिए एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, उन समूहों के लिए **बढ़ते क्रम से** प्राप्त आवेदन पत्र अनुसार समूहों के चयन की प्रक्रिया अपनाई जावेगी, अर्थात् जिन समूह में कम आवेदन पत्र रहेंगे, उन समूहों को पहले, इसी प्रकार बढ़ते क्रम के आवेदनों की संख्या के अनुसार समूहों के चयन की कार्यवाही की जावेगी।

(8.5) प्रदेश के किसी भी जिले में लॉटरी निकालने की नियत तिथि के पूर्व समस्त प्राप्त आवेदनों की सूची कलेक्टर/जिला आबकारी कार्यालय के सूचना पटल पर सभी आवेदकों के अवलोकन के लिए प्रदर्शित की जावेगी, जिसमें भी उपरोक्तानुसार कोड नम्बरों की जानकारी अंकित रहेगी।

(8.6) लॉटरी निकालने के दिवस को लॉटरी द्वारा चयन प्रक्रिया के स्थल पर केवल उन्हीं आवेदकों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को प्रवेश दिया जावेगा, जिनके पास संबंधित समूह के लिए किए गए आवेदन पत्र की विधिवत् प्राप्ति अभिस्वीकृति होगी।

(8.7) इस विज्ञप्ति की कंडिका (2) की उप–कंडिका (2.2) के अनुसार एक आवेदक/फर्म/कम्पनी को किसी भी जिले में केवल दो समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आबंटन किया जावेगा। अतः इसके लिए यह आवश्यक है कि, सबसे पहले जिन समूहों में कम आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, पहले उन समूहों के चयन की कार्यवाई की जावे, ताकि पहले घोषित समूहों में यदि किसी आवेदक को दो समूह आबंटित हो जाते हैं, तो अगले समूह के चयन की प्रक्रिया में उसका चयन होने पर विचार करने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होगा तथा अगले क्रम पर आने वाले आवेदक से प्रथम, व्दितीय, तृतीय आवेदक का चयन किया जावेगा।

(8.8) कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकालने में नम्बरों का प्रयोग करते समय सर्वप्रथम जिले का कोड क्रमांक, जो प्रथम दो अंकों का होगा, इसके बाद समूह का अनुक्रमांक, जो व्दितीय दो अंकों का होगा एवं तत्पश्चात् आवेदन क्रमांक, जो तृतीय चार अंकों का होगा, अंकित किया जाकर, लॉटरी निकालने की प्रक्रिया अपनाई जावेगी।

(8.9) प्रदेश के समस्त जिलों के कलेक्ट्रेट परिसर, जहाँ पर सार्वजनिक लॉटरी द्वारा चयन करने की निर्धारित तिथि एवं समय में कम्प्यूटर के माध्यम से लॉटरी निकाली जावेगी, वहाँ कम्प्यूटर से लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को सभी आवेदकों की सहूलियत के लिए बड़े परदे पर दिखाया जावेगा।

(8.10) चयन के दिन कम्प्यूटर द्वारा लॉटरी का वास्तविक ड्रा निकालने के पूर्व आवेदकों को ड्रा निकालने संबंधी प्रक्रिया की जानकारी दी जावेगी एवं उनके समक्ष छद्म ड्रा (माक डिमास्ट्रेशन), जितनी बार आवश्यक होगा जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा, किन्तु कम से कम **तीन बार** अवश्य कराया जावेगा, ताकि कोई भी आवेदनकर्ता संशय की स्थिति में न रहे।

(9) **<u>देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के लिए अग्रिम धन जमा करना</u>** :–

(9.1) वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के समूह के लिए चयनित आवेदक को संबंधित समूह की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के लिए वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि प्रतिभूति के रूप में अपने चयन की सूचना के 3 दिवस के भीतर तथा वार्षिक निर्धारित लायसेंस फीस के अनुसार प्रथम माह की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2010 तक अग्रिम रुप में जमा करना अनिवार्य होगा तथा उक्त अग्रिम धनराशियाँ जमा होने पर ही अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित आवेदक को देशी/विदेशी मदिरा दुकान/दुकानों के लायसेंस जारी किये जायेंगे।

(9.2) वर्ष 2010–11 के लिए चयनित आवेदक/अनुज्ञप्तिधारी को उक्त राशियों के अतिरिक्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस के 1/12वें भाग के बराबर धनराशि नगद अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा शैड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अथवा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की बैंक गारंटी के रूप में 30 अप्रैल, 2010 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

(10) **लायसेंस फीस और प्रतिभूति धनराशि का भुगतान** :–

वर्ष 2010–11 के लिए प्रदेश के जिलों में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों/समूहों के लिए आवेदक का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयन होने पर, वह अपने चयन की सूचना से तीन दिवस के भीतर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी के 1/12 वें भाग के बराबर प्रतिभूति धनराशि तथा प्रथम माह की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2010 तक अग्रिम रूप में जमा करेगा। यदि वह विहित कालावधि में प्रतिभूति धनराशि व प्रथम माह की लायसेंस फीस जमा करने में असफल रहता है, तो उसका चयन निरस्त हो जाएगा और उक्त अनुज्ञप्तिधारी को राज्य में कहीं भी कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से भविष्य में वर्जित कर दिया जायेगा।

(11) **मदिरा का उठाव** :–

(11.1) छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के अधीन देशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी चुकाकर संबंधित भण्डारण भांडागार से तथा विदेशी मदिरा का अनुज्ञप्तिधारक विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित ड्यूटी का भुगतान शासकीय कोष में कर, छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड से विदेशी मदिरा की कीमत का भुगतान कर प्राप्त करेगा। अनुज्ञप्तिधारी को देशी/विदेशी मदिरा का प्रदाय प्राप्त करने हेतु मांगपत्र पर्याप्त समय पूर्व संबंधित प्रदाय स्थलों पर प्रस्तुत करना होगा।

(11.2) अनुज्ञप्तिधारी को उप–कंडिका (11.1) में दर्शित अनुसार देशी मदिरा का प्रदाय संबंधित भण्डारण भांडागार से अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के मंदिरहसौद गोदाम, रायपुर अथवा लिंगियाडीह गोदाम, बिलासपुर से प्राप्त करने उपरांत परेषण को गंतव्य स्थल/दुकान तक सीधे ले जाना होगा तथा परेषण को परिवहन के दौरान खोला नहीं जाएगा और न ही अन्य स्थल/स्थान पर परिवर्तित किया जाएगा।

(11.3) दिनांक 01.04.2010 से देशी/विदेशी मदिरा के प्रदाय पर ड्यूटी की दरें नीचे सारणी में दर्शाये अनुसार होंगी :–

सारणी

क्र.	मदिरा का प्रकार	निर्धारित ड्यूटी दर
1	2	3
(1)	**देशी मदिरा** :– मसाला 25.0 यू.पी. प्लेन 50.0 यू.पी. रासी 60.0 यू.पी.	रुपये 54/– प्रति प्रूफ लीटर

(2)	**विदेशी मदिरा– (स्प्रिट) :–** एक्स फैक्ट्री प्राईस प्रति पेटी अर्थात् 12 क्वार्ट बोतल		
	1.	रुपये 600/– तक	रुपये 70/– प्रति प्रूफ लीटर
	2.	रुपये 601/–से 900/– तक	रुपये 90/– प्रति प्रूफ लीटर
	3.	रुपये 901/– और उससे अधिक	रुपये 110/– प्रति प्रूफ लीटर
(3)	**माल्ट मदिरा (बीयर) :–**		रुपये 20/– प्रति बल्क लीटर
(4)	(क)	विदेशी मदिरा (स्प्रिट) :– सेना तथा अर्द्धसैनिक बलों/उनकी संस्थाओं/क्लबों के लिए	रुपये 30/– प्रति प्रूफ लीटर
	(ख)	माल्ट लिकर (बीयर)	रुपये 8/– प्रति बल्क लीटर

स्पष्टीकरण :– 1. विदेशी मदिरा (स्प्रिट) में सम्मिलित है, व्हिस्की, ब्राण्डी,, रम, जन, वाईन, लिकर्स, कार्डियल्स, बिटर्स, मिक्चर्स तथा अन्य निर्मितियाँ, जो स्परिट युक्त हों।

2. माल्ट मदिरा में सम्मिलित है, बीयर, स्टाउट, एल, पोर्टर, साईडर इत्यादि।

(12) **देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह हेतु माहवार न्यूनतम उठाव मात्रा का निर्धारण** :–

वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों हेतु न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का माहवार उठाव निम्नानुसार निर्धारित किया गया है :–

क्रमांक	माह का नाम	माह हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा	
		देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्प्रिट)	माल्ट मदि. (बीयर)
1.	2.	3.	4.
1.	अप्रैल	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 15%
2.	मई	वार्षिक मात्रा का 10%	वार्षिक मात्रा का 15%
3.	जून	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 13%
4.	जुलाई	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
5.	अगस्त	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
6.	सितम्बर	वार्षिक मात्रा का 7%	वार्षिक मात्रा का 6%
7.	अक्टूबर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 6%
8.	नवम्बर	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 5%
9.	दिसम्बर	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 5%
10.	जनवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 6%
11.	फरवरी	वार्षिक मात्रा का 9%	वार्षिक मात्रा का 9%
12.	मार्च	वार्षिक मात्रा का 8%	वार्षिक मात्रा का 8%

(13) **सीलबंद बोतलों में देशी मदिरा प्रदाय का अनुपात** :–

(13.1) वर्ष 2010–11 के लिए प्रदेश में स्थित देशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूहों को भण्डारण भांडागार से देशी मदिरा प्रदाय के लिए देशी मदिरा की काँच की बोतलों में बल्क लीटर में प्रदाय का अनुपात 10:20:70 रहेगा। देशी मदिरा के फुटकर लायसेंसी की मांग पर 375 मि.ली. अद्धी व 750 मि.ली. बोतल के स्थान पर 180 मि.ली. पाव का प्रदाय किया जा सकता है।

(13.2) वर्ष 2010–11 के लिए देशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह के अनुज्ञप्तिधारी को भण्डारण भाण्डागार से देशी मदिरा प्रदाय के समय देशी मदिरा प्रदाय संविदाकार को खाली काँच के बोतल की कीमत व प्रदाय दर (इश्यू प्राईस) की राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा, जिसकी दर निम्नानुसार है :–

क्र.	बोतलों का माप	काँच की बोतल की कीमत	प्रदाय दर
(i)	बोतल 750 मि.ली. के लिए	रु 6.00 प्रति नग	रु. 5.50 प्रति नग
(ii)	अद्वी 375 मि.ली. के लिए	रु 3.50 प्रति नग	रु. 4.10 प्रति नग
(iii)	पाव 180 मि.ली. के लिए	रु 2.00 प्रति नग	रु. 2.30 प्रति नग

(13.3) वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा का फुटकर अनुज्ञप्तिधारी प्रदाय में ली गई देशी मदिरा की बोतलों में से 50% की सीमा तक काँच की खाली बोतलों को देशी मदिरा प्रदायकर्ता को देशी मदिरा विनिर्माण भांडागार में वापस करेगा, जिसके लिए उसे प्रदायकर्ता द्वारा उक्त निर्धारित दर से काँच की खाली बोतल की कीमत वापस करेगा।

(14) **देशी मदिरा की तेजी** :–

वर्ष 2010–11 के लिए देशी मदिरा प्रदाय की तेजी निम्नानुसार निर्धारित है :–

क्रमांक	मदिरा का प्रकार	निर्धारित तेजी
1.	मसाला मदिरा	25.0 यू.पी.
2.	प्लेन मदिरा	50.0 यू.पी.
3.	रासी मदिरा	60.0 यू.पी.

(15) **माह के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान और असफलता के परिणाम** :–

(15.1) अनुज्ञप्तिधारी को माह के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित दर से देय ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा कर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिस पर देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय माहान्त तक किया जा सकेगा, किन्तु माह के अंतिम कार्य दिवस तक बिना उठाई गई मदिरा की मात्रा को समपहृत कर लिया जायेगा।

(15.2) उक्त उप–खण्ड (15.1) के अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी, मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा करने में असफल रहता है, तो ऐसा अनुज्ञप्तिधारी, उनके विरुद्ध अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली अन्य कार्यवाहियों के साथ–साथ, वह न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की बकाया ड्यूटी की राशि पर 12% वार्षिक (अर्थात् 1% मासिक) की दर से साधारण ब्याज भुगतान करने के लिए भी दायी होगा।

(15.3) यदि देशी/विदेशी मदिरा की दुकान/समूह की दुकानों का अनुज्ञप्तिधारी उप–खण्ड (15.1) के अनुसार मास के दौरान देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह की दुकानों के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक शासन कोष में जमा कर चालान की मूल प्रति प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी तत्काल मामले की सूचना अनुज्ञापन प्राधिकारी को देगा, जो नियम 23 के उप नियम (1) के खण्ड (च) के उप खण्ड (एक) के अनुरूप शास्ति अधिरोपित करने की कार्यवाही करेंगे। अधिरोपित शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूर्ति करने तथा कारण बताने का नोटिस जारी करेंगे कि संबंधित दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियाँ क्यों न निरस्त कर दी जाए? यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तथा स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो उसकी दुकान/समूह की दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियाँ निरस्तीकरण के दायित्वाधीन होंगी। इसके उपरान्त अनुज्ञापन प्राधिकारी दुकान/दुकानों के समूह की दुकानों के पुर्नव्यवस्थापन की आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

(15.4) अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के विरुद्ध अधिरोपित की गई शास्ति के समतुल्य धनराशि व न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की अवशेष राशि को अनुज्ञप्तिधारी की जमा प्रतिभूति धनराशि से समायोजित किया जावेगा तथा अनुज्ञप्तिधारी को प्रतिभूति धनराशि में आई कमी को एक सप्ताह के भीतर पूरा करना होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी बताई गई अवधि के भीतर प्रतिभूति धनराशि की पूर्ति करने में असफल रहता है तो ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के समूह की दुकान/दुकानों की अनुज्ञप्ति/अनुज्ञप्तियाँ अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा निरस्त की जा सकेगी तथा ऐसे अनुज्ञप्तिधारी के जोखिम एवं उत्तरदायित्व पर अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा संबंधित समूह की दुकान/दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जावेगा तथा इस पुर्नव्यवस्थापन में शासन को जो हानि होगी, उसकी वसूली संबंधित अनुज्ञप्तिधारी से भू–राजस्व की बकाया की भाँति की जावेगी।

(16) **न्यूनतम माहवार प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी/विदेशी मदिरा का उठान :–**

अनुज्ञप्तिधारी देशी मदिरा अथवा विदेशी मदिरा दुकानों के लिए वर्ष 2010–11 में माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा से अधिक देशी अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय निर्धारित दर पर ड्यूटी का भुगतान कर, प्रदाय प्राप्त कर सकता है।

(17) **न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य :–**

वर्ष 2010–11 के लिए शासन द्वारा उपभोक्ताओं की सुविधा की दृष्टि से देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के लिए न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर नियत की जावेगी, **जिसमें 10% का अंतर रखा जावेगा**। देशी मदिरा तथा विदेशी मदिरा के शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम एवं अधिकतम फुटकर बिक्री दर देशी मदिरा/विदेशी मदिरा प्रदायकर्ता द्वारा प्रत्येक प्रकार के नामपत्रों (लेबलों) पर अंकित किया जावेगा। अनुज्ञप्तिधारी, निर्धारित किए गए न्यूनतम विक्रय मूल्य से कम एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य से अधिक मूल्य उपभोक्ताओं से नहीं लेगा।

(18) **विदेशी मदिरा दुकान में अहाता की सुविधा** :– राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आगामी वर्ष 2010–11 से विदेशी मदिरा एफ.एल.1घ की फुटकर दुकानों को, उसके संलग्न परिसर में उपभोक्ताओं को मदिरा–पान के लिए **नियमानुसार अहाता सुविधा दी जाएगी,** जिसके लिए अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा विहित की गई दर से अहाता अनुज्ञप्ति फीस के संदाय पर प्ररूप एफ.एल.1ख (अहाता अनुज्ञप्ति) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा प्रदत्त की जायेगी।

(18) **शुष्क दिवस** :–

(18.1) वर्ष 2010–11 में प्रदेश में स्थित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को निम्नानुसार दिवसों में शासन द्वारा घोषित शुष्क दिवसों के अनुसार बंद रखा जाना अनिवार्य होगा :–

क्रमांक	शुष्क दिवस	संख्या दिवस
1.	26 जनवरी " गणतंत्र दिवस"	1 दिवस
2.	15 अगस्त "स्वतंत्रता दिवस"	1 दिवस
3.	02 अक्टूबर "गांधी जयंती"	1 दिवस
4.	30 जनवरी "महात्मा गांधी निर्वाण दिवस"	1 दिवस
5.	मोहर्रम	1 दिवस
6.	होली (जिस दिन रंग खेला जाय)	1 दिवस
7.	गुरू घासीदास जयंती	1 दिवस

(18.2) उक्त के अतिरिक्त कलेक्टर को यह भी अधिकार हैं कि, वे वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान किन्हीं भी तीन दिवसों में उनके जिले/क्षेत्र की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों को बंद करने के आदेश दे सकते है। इसके अतिरिक्त लोकसभा/विधानसभा/स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं, जिसमें ग्राम पंचायत भी सम्मिलित है, के चुनाव/उप–चुनाव के दौरान भारत निर्वाचन आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मदिरा की दुकानों को छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा–24 की उप–धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर/जिला दण्डाधिकारी द्वारा लोकहित में बंद किया जावेगा।

(19) **देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के खुलने का समय** :–

छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 19 सहपठित सी.एस.2घ लायसेंस शर्त क्रमांक 11 एवं एफ. एल.1घ लायसेंस शर्त क्रमांक 17 के अनुसार, देशी मदिरा व विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09.00 बजे से रात्रि 10.30 बजे तक रहेगा।

(20) **देशी मदिरा की उप–दुकान हेतु अनुज्ञप्ति** :–

वर्ष 2010–11 में देशी मदिरा के लिए उप–दुकान स्वीकृत नहीं की जावेगी।

(21) **लायसेंस की समाप्ति पर शेष बचे मदिरा स्कन्ध का निराकरण** :–

(1) वर्ष 2010–11 के अनुज्ञप्तिधारी के लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा के अतिशेष स्टॉक का निराकरण छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 के अन्तर्गत निर्मित सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–25 तथा विदेशी मदिरा के अतिशेष का निराकरण छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 18 के उप नियम (6) के अनुसार किया जावेगा।

(2) अनुज्ञप्तिधारी, लायसेंस अवधि की समाप्ति पर देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा के अतिशेष स्टाक के व्ययन (Disposal) के फलस्वरूप, स्थानांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा पर तत्समय देय ड्यूटी राशि के 10% (दस प्रतिशत) के बराबर, धनराशि का भुगतान करेगा, जिसका समायोजन आगामी वर्ष की ड्यूटी राशि/लायसेंस फीस में नहीं किया जावेगा तथा स्थानांतरित की जाने वाली मदिरा की मात्रा का भी समायोजन आगामी वर्ष हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में नहीं किया जावेगा।

(22) **प्रतिभूति धनराशि का समायोजन/वापसी** :–

वर्ष 2010–11 के लिए आवेदन प्रणाली में व्यवस्थापित की गई देशी/विदेशी मदिरा दुकानों/समूहों के लिए राज्य शासन को देय लायसेंस फीस/ड्यूटी/शास्ति की राशि या अन्य बकाया राशियों के निस्तारण हेतु आवश्यकता हाने पर, ऐसी समस्त बकाया राशियाँ अनुज्ञप्तिधारी के द्वारा न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित दर से देय ड्यूटी राशि के 1/12वें भाग के बराबर जमा की गई प्रतिभूति धनराशि से समायोजन योग्य होगी। राज्य शासन के समस्त दावों एवं देयों के अंतिम निस्तारण के पश्चात् जमा प्रतिभूति धनराशि अथवा समायोजन के पश्चात् शेष बची राशि अनुज्ञप्तिधारी को वापस किए जाने योग्य होगी।

(23) **लायसेंस का अभ्यर्पण** :–

अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम की धारा 33 के उपबन्धों के अधीन अपने लायसेंस का अभ्यर्पण अनुज्ञापन प्राधिकारी को कम से कम एक मास की लिखित नोटिस देकर कर सकता है। ऐसा आवेदन प्राप्त होने पर अनुज्ञापन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 33 के अनुसार कार्यवाही करेगा। अनुज्ञापन प्राधिकारी आबकारी वर्ष की शेष अवधि के लिए दुकान के पुर्नव्यवस्थापन की कार्यवाही भी आरंभ करेगा।

(24) **लायसेंस का निलम्बन और निरस्तीकरण** :–

(24.1) अनुज्ञापन प्राधिकारी लायसेंस को निलंबित या निरस्त कर सकता है :–

(24.1.1) यदि अनुज्ञप्त परिसर में कोई ऐसी मदिरा बोतल पाई जाती है, जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है और जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित शुल्क के भुगतान के प्रमाण के रूप में प्रतिभूति होलोग्राम नहीं लगाया गया है,

(24.1.2) यदि अनुज्ञापन परिसर में किसी अन्य प्रकार की मदिरा या मादक औषधि (जिसके लिए लायसेंस मंजूर नहीं किया गया है) पाई जाती है,

(24.1.3) यदि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नियम–8 के खण्ड (ग) के अंतर्गत शपथ पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है और उसमें किया गया कथन असत्य पाया जाता है,

(24.1.4) यदि अनुज्ञप्तिधारी, अधिनियम या किसी संज्ञेय और गैर–जमानती अपराध से या भारतीय दण्ड संहिता की धारा 482 से 489 के अधीन अपराध से दोषसिद्ध पाया जाता है,

(24.1.5) यदि कोई मदिरा की बोतल नियम 17 के अधीन राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम फुटकर बिक्री मूल्य से कम मूल्य पर अथवा निर्धारित अधिकतम फुटकर बिक्री मूल्य से अधिक मूल्य पर बेची जाती है,

(24.1.6) यदि देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह का अनुज्ञप्तिधारी किसी माह के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा की सम्पूर्ण राशि उस माह की 25 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है तथा ऐसी कम पटाई गई राशि की न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर निर्धारित दर से अधिरोपित शास्ति नियत अवधि में जमा करने में विफल रहता है,

(24.1.7) यदि अनुज्ञप्तिधारी इस विज्ञप्ति की कंडिका (24.1.6) के अनुसार अधिरोपित शास्ति के पश्चात् भी माहवार निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत की सम्पूर्ण राशि जमा करने में असफल रहता है तथा विहित कालावधि के भीतर प्रतिभूति राशि में आयी कमी को पूरा करने में भी असफल रहता है,

(24.1.8) यदि अनुज्ञप्तिधारी किसी माह के लिए निर्धारित मासिक लायसेंस फीस की सम्पूर्ण राशि, उस माह की 10 तारीख तक संबंधित जिले के कोषालय/उप–कोषालय में जमा कराकर चालान की मूल प्रति संबंधित जिले के जिला कार्यालय में प्रस्तुत करने में विफल रहता है।

(24.2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 31 में दिये गये प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी ऊपर उल्लिखित आधार पर अनुज्ञप्ति को तत्काल निलंबित अथवा निरस्त करने की कार्यवाही करेगा, जिसमें अनुज्ञप्तिधारी को उसकी अनुज्ञप्ति को निलंबित या निरस्त करने तथा उसकी जमा प्रतिभूति धन राशि को राजसात भी किया जा सकेगा।

(24.3) अनुज्ञप्तिधारी, इस नियम के अधीन लायसेंस के निलम्बन या निरस्तीकरण के लिए किसी प्रतिकर या वापसी के लिए दावा करने का हकदार नहीं होगा।

(24.4) ऊपर लिखित आधार पर लायसेंस निरस्त किए जाने के मामले में अनुज्ञप्तिधारी को कालीसूची में भी डाला जायेगा तथा भविष्य में कोई आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित किया जायेगा।

8/ <u>मद्य निषेद्य नीति तथा प्राकृतिक विपत्तियों के फलस्वरूप मदिरा दुकान बंद करना</u> :–

वित्तीय वर्ष 2010–11 में छत्तीसगढ़ राज्य में अथवा किसी पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप या अन्य कोई भी कारणों से यदि कोई दुकान/समूह की दुकानें बंद की जाती हैं, तो इसके कारण अनुज्ञप्तिधारी को शासन द्वारा कोई क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। इसी प्रकार यदि पड़ोसी राज्य में मद्य निषेध के कारण अथवा किसी अन्य कारण से राज्य की किसी दुकान/समूह की दुकानों के पुनर्आबंटन करने का निर्णय लिया जाता है अथवा वर्ष 2010–11 के दौरान यदि शासन कोई नवीन दुकान खोलना आवश्यक समझेगा तो वैसा करने का अधिकार आबकारी आयुक्त को होगा तथा उस पर किसी अनुज्ञप्तिधारी की आपत्ति मान्य नहीं की जावेगी और न ही किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति अथवा छूट किसी भी आपत्तिकर्ता को देय होगी। यदि देशी/विदेशी मदिरा दुकान/समूह के व्यवस्थापन की अवधि के दौरान अनुज्ञप्तिधारी को किसी दैवीय विपत्ति या प्राकृतिक प्रकोप अथवा सामाजिक उपद्रवों, आंदोलनों, कानून व्यवस्था आदि सम्बन्धी समस्याओं के फलस्वरूप किसी प्रकार की कोई क्षति होती है तो अनुज्ञप्तिधारी को किसी भी तरह की क्षतिपूर्ति की पात्रता शासन द्वारा नहीं होगी।

9/ वर्ष 2010–11 की ठेकावधि में यदि केन्द्रीय या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक द्रव्यों पर कोई कर लगाया जावेगा, तो अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत् लायसेंस फीस में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति पाने का हकदार नहीं होगा, और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

10/ वर्ष 2010–11 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का आवेदन प्रणाली में आबंटन एवं संचालन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन निर्मित नियमों एवं छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 यथा संशोधित, निर्धारित शर्तों एवं निर्बन्धनों तथा राज्य शासन/आबकारी आयुक्त/कलेक्टर/सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी के द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों के अनुसार शासित होंगे।

संलग्न :– 1. आवेदन पत्र का प्रारूप
2. अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित के लिए जन्म तिथि के शपथ पत्र का प्रारूप
3. शपथ पत्र का प्रारूप

(जी. एस. मिश्रा)
आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़.

पृ. क्रमांक/आब./ठेका/2010/ रायपुर, दिनांक फरवरी, 2010

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, छत्तीसगढ़, रायपुर को उक्त विज्ञप्ति की 10 प्रतियाँ भेजकर, अनुरोध है कि, उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय/जिला स्तरीय समाचार पत्रों में तत्काल प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर,
4. समस्त कलेक्टर्स, छत्तीसगढ़,
5. समस्त अपर आयुक्त आबकारी, उपायुक्त आबकारी एवं सहायक आयुक्त आबकारी, मुख्यालय, रायपुर,
6. संयुक्त संचालक (वित्त) मुख्यालय, रायपुर,
7. प्रभारी अधिकारी, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. समस्त उपायुक्त आबकारी, संभागीय उड़नदस्ता, छत्तीसगढ़,
9. सहायक आयुक्त आबकारी, रायपुर/दुर्ग/राजनांदगांव/बिलासपुर/कोरबा/जांजगीर चांपा/रायगढ़, *एवं*
10. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, छत्तीसगढ़

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

आवेदन पत्र

(कृपया नियम 8 देखें)

आवेदित समूह के लिए प्रोसेस फीस की निर्धारित राशि :— **रुपये 4000/—**

आवेदक का पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ अथवा आवेदन में स्कैन की गई फोटो, जो किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित हो

आवेदन क्रमांक | | | | | | | | |

वर्ष 2010—11 के लिए जिला................की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह.......................... (समूह का क्रमांक एवं नाम) के लायसेंस हेतु आवेदन—पत्र

1. आवेदक/आवेदिका का नाम :— ....

2. पिता/पति का नाम :— ....

3. आयु (वर्ष में) :— (अंकों में) .... (शब्दों में)..

आयु के प्रमाण के लिए —

म्यूनिसिपल अथॉरिटी या रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु जिला कार्यालय द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या अंतिम स्कूल से जारी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र या अशिक्षित/अर्द्धशिक्षित आवेदक द्वारा जन्म तिथि के लिए मजिस्ट्रेट/नोटरी के समक्ष संलग्न परिशिष्ट—एक में दिया गया शपथ पत्र या पेनकार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस

(इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

4. पता (अ) स्थायी निवास का पता :— ....
....
....

स्थायी निवास के प्रमाण के लिए —

मतदाता परिचय पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, आयकर निर्धारण आदेश, ड्राईविंग लायसेंस, संबंधित राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जल, टेलीफोन, बिजली बिल, बैंक का जीवित खाता स्टेटमेंट

(इनमें से किसी एक प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

(ब) पत्र व्यवहार हेतु पता :— ....
....
....

(स) विगत 10 वर्षों में निवास करने संबंधी जानकारी निम्नानुसार है :—

अवधि (कब से कब तक)	कुल अवधि (वर्ष / माह)	निवास करने का पूर्ण पता

5. आवेदक का आयकर विभाग का पेन नंबर (Permanent Account Number) :— ....

(पेन कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न करें)

6. देशी / विदेशी मदिरा समूह का क्रमांक एवं नाम :— ....

(6.1) वार्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा : (अ) देशी मदिरा (प्रूफ लीटर में)..............................
(ब) विदेशी मदिरा –स्प्रिट (प्रूफ लीटर में)..............................
(स) विदेशी मदिरा –माल्ट (बल्क लीटर में)..............................

(6.2) निर्धारित ड्यूटी राशि : (अ) देशी मदिरा (रुपये में) ....
(ब) विदेशी मदिरा –स्प्रिट (रुपये में)..............................
(स) विदेशी मदिरा –माल्ट (रुपये में)..............................

7. दुकान / समूह की निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस (रुपये में) :— ....

8. दुकान / समूह की निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर ड्यूटी की राशि (रुपये में) :— ....

9. दुकान / समूह का कुल निर्धारित वार्षिक राजस्व (रुपये में) :— ....

10. दुकान / समूह के लिए निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस का 1 / 12वें भाग की धनराशि (रुपये में) :— ....

11. दुकान / समूह के लिए निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1 / 12वां भाग प्रतिभूति धनराशि (रुपये में) :— ....

12. **प्रोसेस फीस की राशि जमा का विवरण :–**

(अ) निर्धारित प्रोसेस फीस की राशि (रुपये में) :– ....

(ब) बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/बैंक के कैश आर्डर का क्रमांक अथवा नगद राशि जमा का बैंक चालान क्रमांक :– ....

(स) दिनांक :– ....

(द) बैंक का नाम :– ....

स्थान :–

दिनांक :– आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर

उपरोक्त विवरण मेरी/हमारी जानकारी में पूर्णतः सत्य/सही है। यदि उपरोक्त विवरण असत्य या गलत पाया जाये तो, मेरा/हमारा आवेदन पत्र निरस्त करने योग्य होगा। यदि उपरोक्त विवरण लायसेंस जारी करने के उपरान्त असत्य या गलत पाया जाता है तो मेरा/हमारा लायसेंस निरस्त करने के दायित्वाधीन होगा और मेरे/हमारे द्वारा जमा की गई लायसेंस फीस एवं प्रतिभूति की धनराशि भी राजसात करने योग्य होगी, जिसकी मुझे/हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं/हम इस तथ्य से भिज्ञ हूँ/हैं कि, असत्य या गलत विवरण देना दण्डनीय अपराध भी है तथा मेरे/हमारे विरूद्व दण्डनीय अपराध दर्ज किया जा सकता है।

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
एवं दिनांक

संलग्न :–

1. आयु के प्रमाण के लिए .... प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. स्थाई निवास के प्रमाण के लिए .... प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
3. पेन कार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि।
4. प्रोसेस फीस का बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक का कैश आंर्डर अथवा बैंक के चालान की मूलप्रति।
5. विहित प्रारूप में आवेदक का पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र।

(आवेदन पत्र प्राप्ति की अभिस्वीकृति)

आवेदन क्रमांक | | | | | . | | | |

श्री/श्रीमती/कुमारी ....
पुत्र/पत्नी/पुत्री .... निवासी .... का वर्ष 2010–11 हेतु देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकान/समूह .... (समूह का क्रमांक एवं नाम) के लिए आवेदन पत्र सहपत्रों सहित, प्रोसेस फीस के बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक/बैंक का कैश आर्डर अथवा चालान की मूलप्रति तथा पब्लिक नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ–पत्र प्राप्त किया, जिसे रजिस्टर के सरल क्रमांक.................पर दर्ज किया गया।

दिनांक :–
समय :–

सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी
अथवा प्राधिकृत अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
एवं कार्यालय की पदमुद्रा

शपथ पत्र

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री ....आयु .... वर्ष, निवासी .... शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि :–

(1) यह कि, शपथकर्ता ने वर्ष .... के लिए जिला .... की देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के समूह .... (समूह का नाम) तहसील .... के लायसेंस हेतु आवेदन पत्र दिया है।

(2) यह कि, शपथकर्ता भारत का नागरिक है।

(3) यह कि, शपथकर्ता की आयु 21 वर्ष से अधिक है।

(4) यह कि, शपथकर्ता का नाम आबकारी विभाग की बकाया सूची व काली सूची में सम्मिलित नहीं है। व्यवस्थापन नियम, 2002 के नियम 13 के अधीन व्यतिक्रमी सूची में भी आवेदक का नाम सम्मिलित नहीं है तथा छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 एवं उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के प्रावधानों के अधीन आबकारी लायसेंस धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है एवं किसी भी अन्य राज्यों में तत्संबंधी प्रावधानों के अन्तर्गत अनुज्ञप्ति धारण करने से वर्जित नहीं किया गया है तथा शपथकर्ता का नाम अन्य राज्यों की बकाया/काली सूची में भी सम्मिलित नहीं है।

(5) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में शपथकर्ता, देश के जिन–जिन राज्यों में लायसेंसी रहा है, उन राज्यों से बकायादार/काली सूची में सम्मिलित व्यक्ति नहीं होने संबंधी प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(6) यह कि, शपथकर्ता को दुकान/समूह आबंटित होने पर वह उस स्थान पर नियमों के अनुसार दुकान खोलने हेतु उपयुक्त परिसर रखता है या किराये पर लेने की व्यवस्था कर सकता है।

(7) यह कि, शपथपकर्ता का नैतिक चरित्र अच्छा है और उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है तथा उसको छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 तथा किसी संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध में दण्डित नहीं किया गया है।

(8) यह कि, शपथकर्ता का अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित हो जाने की दशा में जिला, जहाँ का वह मूल निवासी है एवं विगत 10 (दस) वर्षों में वह जहाँ–जहाँ निवास करता रहा है, के पुलिस अधीक्षकों द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र लायसेंस जारी होने के 60 (साठ) दिनों के भीतर लायसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा कि, उसका चरित्र अच्छा है एवं उसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि या अपराधिक इतिहास नहीं है। यदि इस अवधि में मेरे द्वारा अपेक्षित प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग प्राधिकारी को प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो लायसेंसिंग प्राधिकारी लायसेंस निरस्त कर सकेगा।

(9) यह कि, शपथकर्ता के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में चयनित होने पर वह किसी ऐसे व्यक्ति को बिक्रीकर्ता या प्रतिनिधि के रूप में नियोजित नहीं करेगा, जिसकी कोई अपराधिक पृष्ठभूमि होगी या जो किसी संक्रामक या छुआछूत रोग से ग्रसित होगा या 21 वर्ष से कम आयु का होगा या महिला होगी।

(10) यह कि, शपथकर्ता के ऊपर कोई सरकारी देय नहीं है।

(11) यह कि, शपथकर्ता आयकर विभाग द्वारा आबंटित स्थायी लेखा संख्या (Permanent Account Number) धारित करता है, जिसका PAN No...है तथा आबंटित पेन नम्बर के कार्ड की राजपत्रित अधिकारी अथवा पब्लिक नोटरी से सत्यापित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के संलग्न प्रस्तुत की गयी है।

(12) यह कि, शपथकर्ता का लायसेंसी के रूप में चयन होने पर, उसके द्वारा अपने चयन की सूचना पाने के 3 (तीन) दिवस के भीतर वह कलेक्टर के पास लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों के यथोचित पालन के लिए सम्बन्धित देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों के समूह के लिए निर्धारित वार्षिक प्रत्याभूत मात्रा पर देय ड्यूटी राशि का 1/12वाँ भाग प्रतिभूति के रूप में, वार्षिक निर्धारित लायसेंस फीस का 1/12वाँ भाग, जो किसी प्रकार की बकाया न रहने की दशा में माह मार्च, 2011 की मासिक अंशिका में समायोजन योग्य होगी तथा माह अप्रैल, 2010 की लायसेंस फीस दिनांक 27 मार्च, 2010 तक अग्रिम के रूप में जमा करने के लिए बाध्य रहेगा।

(13) यह कि, शपथकर्ता ने लायसेंस की शर्तों और निर्बन्धनों को पूरी तरह समझ/पढ़ लिया है, और यदि आवेदित दुकान/समूह उसे आबंटित हो जाता है, तो वह छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 व उसके अधीन बनाये गये नियमों एवं यथासंशोधित छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2002 तथा लायसेंस की शर्तों और शासन/आबकारी आयुक्त/ कलेक्टर/ सहायक आयुक्त आबकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समय–समय पर दिये जाने वाले आदेशों/निर्देशों का सम्यक् रूप से पालन करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।

दिनांक :–

स्थान :–

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

<u>सत्यापन</u>

मैं ....पुत्र/पत्नि/पुत्री .... उल्लेखित शपथकर्ता, एतद् द्वारा, यह सत्यापित करता/करती हूँ कि, इस शपथ पत्र की कंडिका (1) से (13) तक में अभिलिखित कथन मेरे स्वयं के ज्ञान तथा विश्वास से तथा उपलब्ध जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है तथा इस शपथ पत्र में मैंने न तो कोई तथ्य छिपाये हैं और न ही कोई मिथ्या कथन किया है।

आज दिनांक .... को स्थान .... में पढ़कर, समझकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर सत्यापित किया गया।

शपथकर्ता के हस्ताक्षर
तिथि सहित

<u>पब्लिक नोटरी का सत्यापन</u>

परिशिष्ट— एक

जन्मतिथि की पुष्टि हेतु आवेदन पत्र में निर्धारित कोई प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने पर अशिक्षित आवेदकों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का नमूना

(गैर अदालती स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाये)

मैं .... पुत्र/पत्नि/पुत्री .... वर्तमान में निवासरत् .... एतद्द्वारा निम्नलिखित कथन करता हूँ :—

मेरा जन्म दिनांक .... को .... प्रदेश के जिला.................. में स्थित ग्राम/तहसील.. में हुआ था। जन्मतिथि एवं स्थान के संबंध में मेरे पास कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं है।

मैं किसी प्रकार की शैक्षणिक योग्यता नहीं रखता/रखती हूँ एवं अशिक्षित व्यक्ति हूँ।

मैं निष्ठापूर्वक शपथ/पुष्टि करता/करती हूँ कि, मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त विवरण सही है एवं मैंने किसी भी तथ्य को न तो छुपाया है और न ही उसे गलत ढंग से प्रस्तुत किया है।

स्थान : ....

तारीख : ....

आज दिनांक .... वर्ष .... को सत्यापित किया कि, मेरे उपरोक्त शपथ पत्र में दी गई जानकारी मेरे समस्त ज्ञान से सत्य एवं सही है एवं विश्वास कराता/कराती हूँ कि, उसमें कोई भी विवरण छुपाया नहीं गया है। मुझे शपथ पत्र का विवरण पढ़कर सुनाया गया।

शपथकर्ता/वादी

प्रमाणित

प्रमाणित करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर एवं कार्यालय की सील

टीप :— शपथपत्र मजिस्ट्रेट/नोटरी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2010.